

अनुदान संख्या 2 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

GRANT No. 2 - DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	8513,62,00		
			8578,15,01	-80,75,99
पूरक	Supplementary	145,29,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			9,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में, समग्र बचतें (₹8075.99 लाख) मार्च, 2023 में प्राप्त ₹14529.00 लाख के पूरक अनुदान का 56 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान के 1 प्रतिशत से कम थी।

1. In the grant, the overall savings (₹8075.99 lakhs) constituted 56 percent of the supplementary grants of ₹14529.00 lakhs obtained in March, 2023 and less than 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "2415"	Major Head "2415"			
कृषि अनुसंधान और शिक्षा	Agricultural Research and Education			
मू.	O.	801339.00		
पू.	S.	14527.00	862145.20	854495.87
पु.	R.	46279.20		-7649.33
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	46758.00		
पू.	S.	1.00
पु.	R.	-46759.00		..

(I) दस शीर्षों के तहत ₹46759.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹45830.00 लाख मुख्य शीर्ष “2552” के तहत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध हैं :-

(का) “फसल कृषिकर्म – आई सी ए आर को सहायता”-

(क) “फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं” – ₹4993.00 लाख;

(ख) “बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं” – ₹2377.00 लाख;

(ग) “कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं” – ₹3411.00 लाख;

(घ) “कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं” – ₹2601.00 लाख;

(खा) “मृदा और जल संरक्षण – आई सी ए आर को सहायता – अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, कृषि-वानिकी अनुसंधान और शिक्षा योजनाओं सहित अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं” – ₹3195.00 लाख;

(गा) “पशुपालन – आई सी ए आर को सहायता – पशु विज्ञान संस्थान, डेयरी अनुसंधान संस्थानों और योजनाओं सहित अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं” – ₹2452.00 लाख; और

(घा) “सामान्य (कृषि अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं) – केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंपाल को सामान्य सहायता अनुदान” – ₹26801.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों में आंशिक निधियों/निधियों के पुनर्विनियोजन और शेष राशि के अभ्यर्पण

(I) Provision of ₹46759.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under ten heads; of these ₹45830.00 lakhs accounted for under Major Head “2552” - under the following heads: -

(A) “Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R.” -

(a) “Crop Science Institutes, Research and Education Schemes” - ₹4993.00 lakhs;

(b) “Horticulture Institutes, Research and Education Schemes” - ₹2377.00 lakhs;

(c) “Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes” - ₹3411.00 lakhs;

(d) “Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes” - ₹2601.00 lakhs;

(B) “Soil and Water Conservation - Assistance to I.C.A.R - Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Schemes” - ₹3195.00 lakhs;

(C) “Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes” - ₹2452.00 lakhs; and

(D) “General (Agricultural Research & Education Schemes) - Grants-in-aid-General to Central Agricultural University, Imphal” - ₹26801.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh).

Provisions under above seven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern

के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2415” – “फसल कृषिकर्म – आई सी ए आर को सहायता – आई सी ए आर मुख्यालय प्रशासन जिसमें कृषि में सूचना और प्रकाशन निदेशालय, अंतर बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रबंधन शामिल है” के अंतर्गत – ₹587706.00 लाख का मूल प्रावधान ₹14527.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त कर ₹602233.00 लाख तक बढ़ाया गया था, जो, तथापि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधियों के उपयोग करने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी करने के कारण ₹8808.42 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

2.(I) उपरोक्त बचतें पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹27957.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2415” – “सामान्य – अन्य संस्थानों को सहायता” के तहत ₹14528.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) “केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंपाल को सहायता अनुदान” – ₹27000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹26994.47 लाख हुआ।

(खा) “केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को सहायता अनुदान” – ₹957.00 लाख।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2415” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :-

(का) “फसल कृषिकर्म – आई सी ए आर को सहायता”-

(क) “फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं” – ₹4947.24 लाख का अधिक व्यय (₹41908.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ख) “बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं” – ₹2374.73 लाख का अधिक व्यय

Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “2415” - “Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - I.C.A.R. Headquarter Administration Including Directorate of Information and Publication In Agriculture, Intellectual Property Rights Management” - the original provision of ₹587706.00 lakhs was augmented to ₹602233.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹14527.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹8808.42 lakhs - due to utilization of less funds by the implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2.(I) The above savings were partly (₹27957.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹14528.00 lakhs under Major Head “2415” - “General - Assistance to Other Institutions” -

(A) “Grants-in-aid to Central Agricultural University, Imphal” - ₹27000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹26994.47 lakhs.

(B) “Grants-in-aid to Central Agricultural University, Bihar” - ₹957.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2415” - under the following heads: -

(A) “Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R.” -

(a) “Crop Science Institutes, Research and Education Schemes” - excess of ₹4947.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41908.00 lakhs);

(b) “Horticulture Institutes, Research and Education Schemes” - excess of ₹2374.73

(₹11488.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ग) “कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं” – ₹3399.70 लाख का अधिक व्यय (₹13977.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(घ) “कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं” – ₹2601.00 लाख का अधिक व्यय (₹20433.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) “मृदा और जल संरक्षण – आई सी ए आर को सहायता – अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, कृषि-वानिकी अनुसंधान और शिक्षा योजनाओं सहित अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं” – ₹3191.32 लाख का अधिक व्यय (₹9385.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) “पशुपालन – आई सी ए आर को सहायता – डेयरी अनुसंधान संस्थानों और योजनाओं सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं” – ₹2441.42 लाख का अधिक (₹17105.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपरोक्त छह शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/धियोजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों में निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹409.00 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत था।

lakhs (against the sanctioned provision of ₹11488.00 lakhs);

(c) “Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes” - excess of ₹3399.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13977.00 lakhs);

(d) “Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes” - excess of ₹2601.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20433.00 lakhs);

(B) “Soil and Water Conservation - Assistance to I.C.A.R. - Other Natural Resource Management Institutes, Research & Education Schemes including Agro-Forestry Research & Education Schemes” - excess of ₹3191.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9385.00 lakhs); and

(C) “Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R.- Animal Science Institutes, Research and Education Schemes Including Dairy Research Institutes & Schemes” - excess of ₹2441.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17105.00 lakhs).

Excess under the above six heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under one head excess of ₹409.00 lakhs occurred constituting 12 percent of the sanctioned provision.